"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2015—श्रावण 2, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक एफ 9-4/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-08-2013 द्वारा श्री मनोज कुमार सोनी, उप महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) रायपुर की सेवाएं भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, उन्हें संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज कुमार सोनी (ITS-1995) वेतनबैण्ड (पी.बी.-4) 37400-67000 में मूल वेतन 44770+ग्रेड वेतन 8700 वर्तमान में प्राप्त किए जाने के कारण श्री सोनी को संयुक्त सचिव के स्थान पर विशेष सचिव पदनामित करते हुए उक्त विभाग में यथावत पदस्थ करता है. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2015

क्रमांक 434/777/अव./2015/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 06-07-2015 से 17-07-2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 05, 18 एवं 19-07-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2015

क्रमांक 436/747/अव./2015/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 15-07-2015 से 25-07-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 26-07-2015 के घोषित सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कमर अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2015

क्रमांक 438/771/अव./2015/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 13-07-2015 से 17-07-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18 एवं 19-07-2015 के घोषित शासकीय/सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने आगामी आदेश तक अवर सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री संजय कनकने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्रमांक 440/624/अव./2015/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 227-28/624/2015/1-8/स्था, दिनांक 22-04-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-04-2015 से 02-05-2015 तक कुल-13 दिवस के स्थान पर दिनांक 22-04-2015 से 02-05-2015 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पूर्व में जारी उक्त आदेश दिनांक 22-04-2015 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्रमांक 442/49/अव./2015/1-8/स्था.—श्री फरदी केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग को दिनांक 07-05-2015 से 27-05-2015 तक 21 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री फरदी केरकेट्टा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री फरदी केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फरदी केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्रमांक 450/517/अव./2015/1-8/स्था.—श्री दिलीप कुमार ठाकुर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 06-05-2015 से 06-06-2015 तक 32 दिवस का (दिनांक 07-06-2015 के घोषित सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार ठाकुर, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दिलीप कुमार ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप कुमार ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक 1405/1496/2015/1-8.—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 450/639/2015/स्था/चार, दिनांक 17-08-2014 द्वारा श्री तिलक कुमार शोरी, संयुक्त संचालक (वित्त सेवा), पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर मंत्रालय, नया रायपुर में पदस्थ किया गया है.

2. उक्त आदेश के अनुक्रम में एतद्द्वारा, श्री शोरी की सेवायें वित्त विभाग से लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग (वित्तीय प्रकोष्ठ) में वित्तीय सलाहकार के रिक्त पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक 452/754/अव./2015/1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 06-04-2015 से 13-04-2015 तक 08 दिवस का (दिनांक 14-04-2015 को स्वीकृत शासकीय अवकाश सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा देवांगन, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती दुर्गा देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दुर्गा देवांगन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्रमांक 454/631/अव./2014/1-8/स्था.—श्री पारसनाथ राम, उप सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-03-2015 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

लघुकृत अवकाश	दिनांक 07-02-2014 से 22-09-2014 तक	228 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 23-09-2014 से 20-03-2015 तक	179 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री पारसनाथ राम आगामी आदेश तक उप सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पारसनाथ राम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पारसनाथ राम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2015

क्रमांक 5165/3359/2015/18.—विभागीय आदेश दिनांक 19-05-2015 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा (रा.प्र.से.) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को दिनांक 19-05-2015 से दिनांक 28-05-2015 तक (10 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है.

श्री दुग्गा द्वारा दिनांक 29-05-2015 से दिनांक 02-06-2015 तक अर्जित अवकाश में वृद्धि करने के कारण 05 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुग्गा आगामी आदेश तक नगर पालिक निगम, भिलाई में आयुक्त के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुग्गा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुग्गा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक 1610/एफ-05-01/बी.नि./2009/14-2.—छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक 7446/एफ-05-01/बी.नि./2009/14-2 दिनांक 13-10-2014 द्वारा श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था.

राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्याम बैस, को अन्य आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है. उक्त पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर के अध्यक्ष, के पद से भारमुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक-एम.पी./3522 को दिनांक 01-07-2015 से 15-12-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2015

क्रमांक एफ 7-25/2014/32.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 02-01-2015 द्वारा दुर्ग भिलाई विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग भिलाई विकास योजना (भाग-1) में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नंदनी	2981/1, 2982/1, 2983, 2984	2.00 एकड़	औद्योगिक आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (अस्पताल प्रयोजन हेतु) प्रस्तावित मार्गों को छोड़कर

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अस्पताल स्थापना के प्रयोजन हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग भिलाई विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग भिलाई विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई 2015

क्रमांक/52/अ.भू.-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	मोहलई प.ह.नं. 06	0.505	उप मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर (छ.ग.)	तीसरी रेल लाईन हेतु रेल्वे लाईन निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 3 जून 2015

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/13-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	पतरापारा प.ह.नं. 6	0.09	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	पुलिया निर्माण में आने वाली भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 24 जून 2015

रा.प्र.क्र. 10/अ-82/13-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	परसापारा प.ह.नं. 6	0.184	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	पुलिया निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/02/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	कलगांव	1.43	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़.	कलगांव नाला पर सेतु निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/03/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	बाबूसाल्हेटोला	0.74	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर.	कांकेर-अमोड़-नरहरपुर मार्ग पर नकटी नदी पर सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जून 2015

क्रमांक एफ 4-47/2006/32.—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मण्डल राज्य शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में :—

1. अनुसूची-दो, सरल क्रमांक 10 में खाना क्रमांक 5, 6 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाती है, तथा अनुसूची-चार सरल क्रमांक 10 के खाना क्रमांक 3 में प्रशासकीय अधिकारी जोड़ा जाता है :—

(अनुसूची-दो)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवा से अस्थायी स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा
		चयन द्वारा सीधी भर्ती	सेवा के स्थानापन/मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
10	प्रशासकीय अधिकारी	—	100 प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

(अनुसूची-चार)

क्र. (1)	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (2)	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (3)
10	संपदा प्रबंधक/शाखा अधिकारी	लेखा अधिकारी/सम्पदा अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी

2. यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

संजय शुक्ला,
आयुक्त.